पत्रांकः– 7/भू0 ह0 (दखल दहानी) 06/2009........ 861(न)

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

आयुक्त
30 OCT 2009
पटना प्रमंडल, पटना

प्रेषक,

डा0 सी0 अशोकवर्धन,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी समाहर्त्ता
सभी अपर समाहर्त्ता

पटना, दिनांक 29/X/09

विषयः– **भूहदबन्दी से अर्जित भूमि के वितरण के उपरान्त लाभुकों को दखल–कब्जा दिलाने के संबंध मे।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि भू–हदबन्दी अधिनियम के तहत अर्जित भूमि के वितरण के उपरान्त पर्चाधारियों का भौतिक दखल कब्जा बहुत सारे मामलों में नहीं हो पाता है अथवा जिन्हें तत्काल दखल कब्जा दिलाया भी जाता है, अवांछित तत्वों द्वारा उन्हें बेदखल कर दिया जाता है जिसके फलस्वरूप विवाद एवं असंतोष बढ़ता है और शान्ति भंग होती है। यह सरकार के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है। ऐसी परिस्थिति में भूमि सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाता है।

उक्त परिपेक्ष्य में बिहार भूमि सुधार आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि अनुमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होंगे कि पर्चाधारियों को पर्चा के साथ ही जमीन पर दखल भी मिले। ऐसा कोई भी मामला जिसमें किसी व्यक्ति को जायज पर्चा रहे, परन्तु पर्चे में उल्लिखित भूमि पर उसका भौतिक दखल नहीं रहे, संबंधित अधिकारी के विरूद्व लापरवाही, अक्षमता तथा पूर्व भू–धारी और / या भूमि माफिया के साथ मिलीभगत के लिए, अनुशासनिक कार्रवाई आकर्षित करेगा। ऐसे मामले घटित न हो, इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। यदि पुराने पर्चाधारी पर्चा में उल्लिखित भूमि पर दखल नहीं पा सके, तो अनुमंडल पदाधिकारी उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

सरकार द्वारा बिहार भूमि सुधार आयोग की उपरोक्त अनुशंसा को लागू करने हेतु अपनी सहमति देते हुए भू–हदबन्दी से अर्जित भूमि के वितरण के उपरान्त पर्चाधारियों को वास्तविक दखल कब्जा दिलाये जाने में अनुमंडल पदाधिकारी/ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता उत्तरदायी होंगे। इस परिपेक्ष्य में यह आवश्यक है कि पर्चाधारियों को पर्चा निर्गत करने के समय ही बंदोबस्त

भूमि का सीमांकन करा कर भौतिक दखल कब्जा दिलाया जाय इसके साथ ही दाखिल खारिज कर पंजी–2 में इसकी प्रविष्टि सुनिश्चित करायी जाय। इसके साथ ही यदि बेदखली के मामले सामने आते हो तो भू–हदबन्दी अधिनियम की धारा 27 (क) के अन्तर्गत युक्तियुक्त सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनवाई कर दखल की आशंका दूर की जाय तथा दखल वापस दिलाया जाय। आदेश का उल्लंधन करने वालों पर अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत तत्परता से कार्रवाई की जाय।

सरकार को अगर किसी स्तर से सिर्फ कागजी वितरण / बंदोबस्ती की सूचना या शिकायत किसी श्रोत से प्राप्त होगी तो ऐसे मामलों को सरकार गंभीरता से लेगी एवं सम्बन्धित पदाधिकारयों को सरकार के आदेश की अवहेलना का दोषी मानते हुए उनके विरूद्व आवश्यक कार्रवाई करना सरकार की बाध्यता होगी।

प्रमंडलीय आयुक्त अपने स्तर से भी तत्संबंधी निदेश अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत संबंधित पदाधिकारियों को कृपया निर्गत करेंगे तथा भू–हदबन्दी से अर्जित भूमि के वितरण / दाखिल–खारिज एवं पंजी–2 में प्रविष्टि के साथ वास्तविक कब्जा की भी आवधिक समीक्षा करते हुए तथा यथावांछित कार्रवाई सुनिश्चित करेगें।

इसी प्रकार सभी समाहर्त्ता उपर्युक्त परिपेक्ष्य में आवधिक समीक्षा करते हुए सरकार के निदेश का अनुपालन कृपया सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

29.11.01

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव